

दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तार अहकाम जो हुकम की ता में जारी हुए
११/१०/१९	<p>पत्रावली पेष हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।</p> <p>प्रार्थीगण ने संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 503/129, 654/503 रकबा कमशः 35.04, 02.06 बीघा कुल रकबा 37.10 तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 504/129, 650/504 रकबा कमशः 36.15, 0.15 बीघा, कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि मौजा आंरग, पटवार मण्डल आंरग, तह0 शिव की भूमि के लट्टा नक्शा में की गई तरमीम राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित रकबा से कम - ज्यादा की गई होने से तरमीम दुरुस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है।</p> <p>विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से वकील श्री हरीराम चौधरी उपस्थित हुए एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ को सुना व तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का आवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरुस्त करवाने बाबत सहमत है। मौका फर्द के संलग्न वर्तमान तरमीम अनुसार नक्शा ट्रेस तथा वास्तविक राजस्व रेकॉर्ड में अंकित रकबा स्थिति में काफी अन्तर है। दोनो में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से वाद ग्रस्त भूमि की प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार लट्टा नक्शा मे तरमीम दुरुस्त किया जाना अदालत उचित समझती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 503/129, 654/503 रकबा कमशः 35.04, 02.06 बीघा कुल रकबा 37.10 तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 504/129, 650/504 रकबा कमशः 36.15, 0.15 बीघा, कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि मौजा आंरग, पटवार मण्डल आंरग, तह0 शिव की भूमि की लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका फर्द के संलग्न निरीक्षक भू- अभिलेख भीयाड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
शिव

